भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

* * *

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1938

(दिनांक 03.07.2019 को उत्तर के लिए)

भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायतें

1938. श्री सुनील कुमार सिंहः
श्री सुधकर तुकाराम श्रंगरेः
क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं;
(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान प्राप्त हुई शिकायतों का विभाग-वार और पद-वार ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है;
(ग) क्या सरकार द्वारा भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों को दर्ज करने की प्रक्रिया को सरल बनाने और इस संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए कोई प्रयास किया जा रहा है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार ने भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कोई प्रयास किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) और (ख): जी हां। भ्रष्टाचार संबंधी प्राप्त शिकायतों के विभाग-वार/पद-वार आंकड़ों का केन्द्रीय रूप से रख-रखाव नहीं किया जाता है। तथापि, केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार गत पांच वर्षों के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या तथा उन पर की गई कार्रवाई के ब्योरे क्रमशः **अनुलग्नक-I** और **अनुलग्नक-II** में दिए गए हैं।

(ग) और (घ): कदाचार और कुरीतियों का रहस्योद्घाटन करने में सूचना के महत्वपूर्ण स्त्रोत के रूप में शिकायतों के महत्व को पहचानते हुए भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों सहित शिकायतों के पंजीयन हेतु विभिन्न मंच विकसित किए गए हैं। ऐसी शिकायतें लिखित स्वरूप में, डाक द्वारा अथवा इस प्रयोजनार्थ बनाए गए पोर्टलों के माध्यम से ऑनलाइन रूप में दर्ज की जा सकती हैं।

शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए मंत्रालय ने भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों सहित सभी प्रकार की शिकायतों को दर्ज करने हेतु केन्द्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली

(सीपीजीआरएएमएस) अर्थात्, pgportal.gov.in का विकास किया है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने शिकायतों को दर्ज करने हेतु अपनी वेबसाइट पर एक समर्पित पोर्टल अर्थात्, portal.cvc.gov.in और टोल फ्री दूरभाष संख्या 1800110180 शुरू किया है।

(ङ) और (च): केंद्र सरकार ''भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता'' की अपनी नीति के प्रति प्रतिबद्ध है और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

केंद्र सरकार द्वारा भ्रष्टाचार से निपटने के लिए उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:

I. पारदर्शी नागरिक अनुकूल सेवाएं प्रदान करने और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए व्यवस्थित बदलाव और सुधार। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं :

क) सरकार की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पहल के माध्यम से पारदर्शी ढंग से नागरिकों को कल्याणकारी लाभ का सीधे संवितरण।

ख) सार्वजनिक प्रापणों में ई-निविदा का कार्यान्वयन।

ग) ई-शासन का आरंभ तथा प्रक्रियाओं और प्रणालियों का सरलीकरण।

घ) सरकारी ई-बाजार स्थल (जेम) द्वारा सरकारी प्रापणों का आरंभ।

II. भारत सरकार में समूह 'ख' (अराजपत्रित) एवं समूह 'ग' पदों की भर्ती में साक्षात्कारों को समाप्त करना।

III. ऐसे पदाधिकारियों को समयपूर्व सेवानिवृत्त करने के लिए एफआर-56 (जे) एवं एआईएस (डीसीआरबी) नियम 1958 लागू करना जिनके कार्य निष्पादन की समीक्षा की गई हो और इसे संतोषजनक न पाया गया हो।

IV. अनुशासनिक कार्यवाहियों से संबंधित प्रक्रिया में सख्त समय-सीमाओं हेतु प्रावधान करने के लिए अखिल भारतीय सेवा (अनुशासनिक एवं अपील) नियमावली एवं केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली में संशोधन किया गया है।

V. रिश्वत देने के कृत्य को स्पष्ट रूप में अपराध घोषित कर तथा रिश्वत देने के कृत्य में सहमति रखने अथवा मिलीभगत करने वाले वाणिज्यिक संगठनों के वरिष्ठ प्रबंधन के संबंध में प्रातिनिधिक दायित्व तय करके भ्रष्टाचार के बड़े मामले को रोक कर भ्रष्टाचार से निपटने में आमूलचूल बदलाव लाने के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 को दिनांक 26.07.2018 को संशोधित किया गया।

VI. संगठनों को मुख्य सरकारी प्रापण गतिविधियों में सत्यनिष्ठा समझौता अपनाने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा अनुदेश जारी करना और जहां कोई अनियमितता/कदाचार ध्यान में आए वहां प्रभावी एवं त्वरित अन्वेषण सुनिश्चित करना।

VII. चार न्यायिक सदस्यों सहित अध्यक्ष और आठ सदस्यों की नियुक्ति द्वारा लोकपाल की संस्था को शुरू किया गया। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत लोक सेवकों के विरुद्ध कथित अपराधों के संबंध में लोकपाल को शिकायतों को सीधे प्राप्त करने और उन पर स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करने का सांविधिक अधिदेश प्राप्त है।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने सर्वोच्च सत्यनिष्ठा संस्थान रूप में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए बहुआयामी रणनीति और दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें दण्डात्मक, निवारक एवं प्रतिभागी सतर्कता सम्मिलित हैं।

अनुलग्नक-I

केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान प्राप्त हुई और निपटान की गई शिकायतों की संख्या का विवरण:

प्राप्त हुईं शिकायतें और की गई कार्रवाई	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
पिछले वर्ष से आगे लाई गईं शिकायतों की संख्या	2048	2311	1360	2443	3666
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	62362	29838	49847	23609	29979
शिकायतों की कुल संख्या	64410	32149	51207	26052	33645
निपटान की गई शिकायतों की कुल संख्या, जिनमें से	62099	30789	48764	22386	30575
(क) बेनामी/छद्म नाम (दायर)	758	1745	540	2391	2922
(ख) अस्पष्ट/संदिग्ध (दायर)	36115	12650	36293	4947	9831
(ग) सीवीसी के अधिकार क्षेत्र/शिकायतों के अधीन नहीं आने वाले अधिकारी (आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित)	24012	16215	11845	14845	17575
(घ) सीवीओ/सीबीआई को जांच/अन्वेषण के लिए भेजा गया	1214	179	86	203	247
अगले वर्ष में आगे ले जाई गई शिकायतों की संख्या	2311	1360	2443	3666	3070

आयोग द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान लोक हित प्रकटीकरण और सूचना-प्रदाताओं के संरक्षण (पीआईडीपीआई) संकल्प के तहत प्राप्त हुईं तथा निपटान की गई शिकायतों की संख्या का विवरण:

प्राप्त हुईं शिकायतें और की गई कार्रवाई	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
पिछले वर्ष से आगे लाई गईं शिकायतों की संख्या	38	39	32	37	27
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	954	656	821	744	695
शिकायतों की कुल संख्या	992	695	853	781	722
निपटान की गई शिकायतों की कुल संख्या, जिनमें से	953	663	816	754	693
(क) दायर शिकायतों की संख्या	27	116	367	265	275
(ख) गैर-सतर्कता (संबंधित विभाग/संगठन को आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित किया गया)	799	467	358	401	332
(ग) सीवीओ/सीबीआई द्वारा जांच/अन्वेषण के लिए लिया गया	127	80	91	88	86
अगले वर्ष में आगे ले जाई गई शिकायतों की संख्या	39	32	37	27	29

अनुलग्नक II

पिछले 5 वर्षों के दौरान केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) में दर्ज भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों की संख्या का विवरण

वर्ष	वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की कुल संख्या	कॉलम संख्या 2 में से निपटान की गई शिकायतों की संख्या	कॉलम संख्या 3 में निम्नलिखित के रूप निपटान की गई शिकायतों की संख्या				कॉलम संख्या 2 में से लंबित शिकायतों की संख्या
			आरसी	पीई	आरडीए/कुछ कार्रवाई	बंद/अन्यथा निपटान की गई	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2014	547	544	219	28	46	251	3
2015	489	488	213	15	31	229	1
2016	417	404	193	16	32	163	13
2017	388	353	155	27	27	144	35
2018	316	250	133	13	18	86	66